न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

मेसर्स देवास हायड्रोक्पि प्रा.लि.देवास
द्वारा डायरेक्टर मनोज मुदंड़ा पिता श्रीनारायणदास मुदंड़ा
निवासी 24 एच.आई.जी. विजय नगर देवास
——प्रार्थी / अपीलांट

विरूद्ध

1— तेजराम पिता शिवजीराम खाती,
2— भेरूलाल पिता बद्रीलाल खाती,
निवासीगण ग्राम लोहार पिपल्या तेह. व जिला
——प्रतिप्रार्थी / रिस्पोंडेंट

श्रीमान कलेक्टर महोदय देवास के प्रकरण क.01 / निगरानी / 2011—12 में पारित निर्णय दि.02.07.12 के विरूद्ध भू—राजस्व संहिता की धारा 50 के अर्न्तगत रिवीजन

मा.महोदय,

आवेदक की ओर से निवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है—

प्रकरण के तथ्य—

यह कि ग्राम लोहारपिपल्या में प्रार्थी की भूमि सर्वे क.293 / 1 / 1 स्थित है। इसके पास में प्रतिप्रार्थी क.1 तेजराम की भूमि सर्वे क.270 स्थित है। तेजराम ने उसकी भूमि का सीमाकंन कराने का आवेदनपत्र दिया था। प्रार्थी कम्पनी को इसकी नियमानुसार कोई सूचना नहीं दी गई। जो सूचना भेजी गई थी वह दिनांक 04.05.10 को दोपहर बाद कम्पनी के डायरेक्टर मनोज मुदंड़ा के निवास स्थान 24 एच.आई.जी विजय नगर देवास पर लाई गई। उस समय प्रार्थी कम्पनी के डायरेक्टर मनोज मुदंडा बाहर गयें हुवें थे और उनके पिताजी श्रीनारायणदासजी मुदंड़ा ने सूचना पर स्पष्ट लिखा है कि श्रीमनोज मुदंड़ा बाहर गयें है व इतनी कम सूचना पर आना संभव नहीं है। इस प्रकार कम्पनी को कोई विधि सम्मत सूचना न देते हुवें सीमाकंन की कार्यवाही की गई है जो कि सर्वथा अवैधानिक है। इस भूमि की अधीक्षक महोदय भू—अभिलेख ने मनमानी ढग से दिनांक 05.05.10 को सीमाकंन करके प्रतिवेदन तेहसीलदार महोदय देवास की ओर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया है। इसके विरूद्ध प्रार्थी ने श्रीमान कलेक्टर महोदय देवास के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। श्रीमान कलेक्टर महोदय ने निगरानी के गुणदोष पर विचार न करतें हुयें केवल इस आधार पर निरस्त कर दिया कि प्रतिवेदन पर तेहसीलदार महोदय देवास ने क्या निर्णय किया इसका उल्लेख निगरानी आवेदनपत्र में नहीं किया गया है और न ही ओदश की प्रतिलिपी संलग्न की गई है जबकि तेहसीलदार के निर्णय के विरूद्ध अपील / निगरानी कियें जाने का प्रावधान है। कलेक्टर महोदय ने प्रतिवेदन के विरूद्ध प्ररूतुत निगरानी को विधी सम्मत् न मानतें हुऐं उसे निरस्त किया है अतः इसके विरूद्ध

निरन्तर —— 2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3190-एक/12 **जिला** - देवास

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बी.एल. भांवर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	